नवोन्मेष
रुक्टा (राष्ट्रीय)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org, ructarashtriya@gmail.com

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305001 (राज.)

अध्यक्ष : डॉ. दिग्विजयसिंह शेखावत, बीकानेर मो. 9414452369, 9983007575

महामंत्री : डॉ. नारायणलाल गुप्ता, अजमेर मो. 9414497042

परिपत्र क्रं. : रुक्टा (रा.)/2017-18/04 **माघ पूर्णिमा वि. स. २०७४ तदनुसार 31 जनवरी, 2018**

(सभी इकाई सचिवों एवं सक्रिय सदस्यों को समस्त सदस्यों में प्रसारित करने के अनुरोध सहित प्रेषित)

प्रिय महोदय/महोदया,

सादर नमस्कार।

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। पिछले परिपत्र के पश्चात् पदनाम परिवर्तन की अधिसूचना, बीकानेर में सम्पन्न संगठन के 56वें प्रान्तीय अधिवेशन के विवरण, महामंत्री प्रतिवेदन, अंकेक्षित आय-व्यय लेखा एवं साधारण सभा द्वारा पारित प्रस्तावों के साथ 30 जून 2015 तक लम्बित वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान के आदेश, पे बैंड-4 संबंधी प्रक्रिया के आदेश तथा शिक्षक सम्मान हेतु समिति के गठन की सूचना के साथ यह परिपत्र आपके समक्ष प्रस्तुत है।

पदनाम परिवर्तन हेतु अधिसूचना जारी

संगठन के अथक, एकनिष्ठ एवं विजिगीषु प्रयासों के सुफल में 31 जनवरी 2018 को राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय शिक्षकों के पदनाम व्याख्याता के स्थान पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर करने हेतु राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) संशोधन नियम 2018 की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

विभिन्न स्तरों पर नियमित अंतराल पर मंत्रीगणों एवं उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लम्बी भेंटवार्ताएँ, तथ्यपूर्ण विस्तृत पत्राचार, मुख्यमंत्रीजी के नाम हस्ताक्षर अभियान, सभी राजनैतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के समर्थन पत्र, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया पर अपने आत्मसम्मान की आवाज का प्रकटीकरण, सम्पूर्ण राजस्थान से 4000 शिक्षकों का मुख्यमंत्री निवास पर प्रदर्शन, अन्ततः जयपुर अधिवेशन में मुख्यमंत्रीजी द्वारा पदनाम परिवर्तन की घोषणा, इसके बाद पदनाम परिवर्तन के नियमों के प्रारूप में नौकरशाही द्वारा डाली गई विभिन्न अड़चनों एवं अत्यन्त नकारात्मक प्रावधानों के विरुद्ध पुनः लम्बा संघर्ष करते हुए शिक्षक हितानुसार परिवर्तन करवाने जैसी निरन्तर सघन, कण्टकाकीर्ण मार्ग की यात्रा आप सब शिक्षक बंधु बहिनों के सहयोग, समर्थन एवं शुभेच्छाओं से ही लक्ष्य तक पहुँच पाई है।

कार्मिक विभाग द्वारा मूल अंग्रेजी की अधिसूचना को हिन्दी रुपान्तरण सहित असाधारण राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि संगठन के बीकानेर अधिवेशन में उच्च शिक्षामंत्री श्रीमती किरण जी माहेश्वरी द्वारा यह विश्वास दिलाया गया था कि 31 जनवरी 2018 तक पदनाम परिवर्तन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। संगठन के प्रयासों से मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अधिवेशन समाप्ति के अगले ही दिन 10 जनवरी 2018 को राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय) संशोधन नियम 2018 की मंत्रीमण्डलीय आज्ञा जारी कर दी गई थी। संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने 20 जनवरी 2018 को अजमेर में मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी व उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण जी माहेश्वरी से भेंट कर पदनाम परिवर्तन संबंधी मंत्रीमण्डलीय आज्ञा जारी करने हेतु आभार व्यक्त किया तथा शीघ्र नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की थी।

पदनाम परिवर्तन की अधिसूचना के अनुसार राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम में व्याख्याता शब्द विलोपित कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार ए.जी.पी. 6000, 7000 एवं 8000 में कार्यरत शिक्षकों का पदनाम असिस्टेंट प्रोफेसर एवं पे बैंड-4 में कार्यरत शिक्षकों का पदनाम एसोसिएट प्रोफेसर किया गया है। राज्य के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्रति स्नातकोत्तर विभाग में एक प्रोफेसर के हिसाब से कुल 437 प्रोफेसर तथा स्नातक महाविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या के 10 प्रतिशत के हिसाब से 40 प्रोफेसर के पद अर्थात् कुल 477 प्रोफेसर के पद सृजित किए गए हैं। स्नातक तथा स्नातकोत्तर दोनों महाविद्यालयों के लिए प्रोफेसर पद का एक ही संवर्ग होगा। राजकीय महाविद्यालयों में 19 वर्ष के कुल शैक्षणिक/प्रशासनिक अनुभव व 9000 ग्रेड पे में 7 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के साथ पीएच.डी. व निर्धारित एपीआई अंकों को प्राप्त करने वाले सहआचार्यों में से पदोन्नति द्वारा सभी प्रोफेसर पद भरे जायेंगे।

नवीन नियमों में आयुक्त पद हेतु महाविद्यालय प्राचार्य के पद पर 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले शिक्षक को पात्र मानने की व्यवस्था है। महाविद्यालयों के उपप्राचार्य संवर्ग को मृतसंवर्ग घोषित किया गया है। जब भी किसी भी कारण से यह पद रिक्त होगा, उसे समाप्त समझा जाएगा। स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्राचार्य तथा संयुक्त निदेशक का एक ही कॉडर होगा जिसे 100 प्रतिशत चयन द्वारा भरा जा सकेगा। प्राचार्य पद हेतु पीएच.डी. के साथ महाविद्यालयों में अध्यापन/प्रशासन में 25 वर्ष के अनुभव की पात्रता रखी गई है। प्राचार्यों के 75 प्रतिशत पद एसोसिएट प्रोफेसर से तथा 25 प्रतिशत पद प्रोफेसर से भरे जाएंगे। प्रोफेसर्स की अनुपलब्धता की स्थिति में 25 प्रतिशत पदों को भी एसोसिएट प्रोफेसर से भरा जा सकेगा।

राजस्थान को उन चुनिंदा राज्यों में शामिल करने जहाँ महाविद्यालयों में प्रोफेसर पद सृजित किए गए है तथा राज्य के महाविद्यालय शिक्षकों के आत्मसम्मान की इन लड़ाई में न्याय प्रदान करने के लिए संगठन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण जी माहेश्वरी का कोटिश: आभार व्यक्त करता है तथा इस लम्बी और कठिन यात्रा में सहभागी प्रत्येक शिक्षक बंधु-बहिन को हार्दिक धन्यवाद देते हुए बहुत-बहुत बधाई प्रेषित करता है। पदनाम परिवर्तन के पश्चात् हम सब शिक्षकों का यह गुरुत्तर दायित्व है कि हम राज्य की उच्च शिक्षा के सर्वोन्मुखी उत्थान में अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक भूमिका सुनिश्चित करें।

56वें प्रांतीय अधिवेशन का विवरण

संगठन का 56वाँ प्रान्तीय अधिवेशन 8-9 जनवरी 2018 को राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर में सम्पन्न हुआ। अधिवेशन में सम्पूर्ण राज्य से राजकीय महाविद्यालयों, निजी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के 1900 से अधिक संभागियों ने भाग लिया। अधिवेशन के संभागियों में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक, कॉलेज शिक्षा संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक सहित सेवानिवृत्त शिक्षक भी सम्मिलित थे।

देराश्री स्मृति व्याख्यान - 8 जनवरी 2018 को अधिवेशन के प्रथम सत्र में संगठन के संस्थापक महामंत्री प्रो. सत्यदेव देराश्री की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य वक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं प्रसिद्ध विचारक प्रो. राकेश सिन्हा रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि जिस प्रकार किसी पौधे के बीज को विकसित व पल्लवित होने के लिए खाद व पानी की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मानव के विकास के लिए विचारों व मूल्यों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि वामपंथी व मेकॉलेवादी छद्म बुद्धिजीवियों ने अपनी बाईनरी मीमांसा से समाज को बाँटने का कार्य किया और अदरनेस, मैं व तुम के रूप में समाज को विभाजित किया है। इन्हीं छद्म बुद्धिजीवियों ने राज्याश्रय में बौद्धिकता के कृत्रिम मापदण्ड घोषित व स्थापित करने का प्रयास किये परन्तु वर्तमान में जिस प्रकार मुस्लिम महिलाओं ने पुरुषों के छद्म आधिपत्य का स्वत: स्फूर्त विरोध किया उसी प्रकार भारतीय जनमानस ने इन वामपंथी-मेकॉलेवादियों को हाशिए पर धकेल दिया और इनकी कृत्रिम बौद्धिकता ऐसे प्रकरणों में केवल बौद्धिक पोस्टमार्टम ही करती रह गई।

सत्र की अध्यक्षता महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रो. भगीरथ सिंह ने की। उन्होंने राज्य की उच्च शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए इसके गुणात्मक सुधार एवं पाठ्यक्रम में भारतीय मूल्यों एवं

आध्यात्मिक परम्परा को सम्मिलित करने की आवश्यकता बताई। सत्र के प्रारम्भ में उपस्थित अतिथियों एवं शिक्षकों का स्वागत करने के पश्चात् संगठन के संस्थापक महामंत्री प्रो. सत्यदेव देराश्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय महामंत्री ने प्रस्तुत किया। सत्र के अन्त में अध्यक्ष डॉ. दिग्विजयसिंह द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

उद्घाटन सत्र - सरस्वती वंदना के साथ प्रारम्भ उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण जी माहेश्वरी, विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष प्रो. जे. पी. सिंघल जी एवं स्वागताध्यक्ष प्रो. बी. आर. छीपा जी रहे। मुख्य अतिथि किरणजी माहेश्वरी ने पदनाम परिवर्तन की फाइल की प्रगति जानकारी देते हुए 31 जनवरी 2018 तक पदनाम परिवर्तन के आदेश प्रसारित होने का आश्वासन दिया। उन्होंने शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की दिशा में हो रही प्रगति पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। श्रीमती माहेश्वरी ने कॉलेजों में प्राचार्य-उपाचार्य पदों के लिए लम्बित डी.पी.सी. को शीघ्र करवाने, शारीरिक शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, प्रयोगशाला सहायकों व लिपिकों आदि के रिक्त पदों पर भी शीघ्र नियुक्ति देने का आश्वासन दिया। संगठन की माँग पर मंत्रीजी ने आगामी शिक्षक दिवस से उच्च शिक्षा में कार्यरत श्रेष्ठ शिक्षकों को भी राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किये जाने की घोषणा की।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रो. जे. पी. सिंघल जी ने अपने उद्बोधन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के वैचारिक वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालते हुए महासंघ की आधारभूमि शिक्षकों के अधिकार के साथ उनके कर्त्तव्यों एवं समाज व राष्ट्र के लिए चिंतन से बनी बताई। उन्होंने कहा कि कर्त्तव्यों का सम्यक् निर्वहन करने से शिक्षक स्वत: ही नैतिक अधिकार प्राप्त करता है। कार्यक्रम में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रो. बी. आर. छीपा जी ने उपस्थित अतिथियों एवं समस्त आंगतुक शिक्षकों का स्वागत करते हुए अधिवेशन में विचार मंथन से राष्ट्र एवं समाज के लिए सकारात्मक उपलब्धि प्राप्त करने की आशा व्यक्त की। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉ. दिग्विजयसिंह शेखावत ने संगठन के सामाजिक सरोकारों पर प्रकाश डालते हुए संगठन की उपलब्धियों हेतु शिक्षक साथियों के विश्वास एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। संगठन महामंत्री ने महाविद्यालय शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के शीघ्र हल करने का आग्रह किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. विक्रमजीत एवं डॉ. राजेश जोशी ने किया। सत्र के अंत में आभार प्रदर्शन डॉ. उज्जवल गोस्वामी ने किया। सत्र का समापन सामूहिक वंदेमातरम् गान से हुआ।

खुला सत्र एवं साधारण सभा - अधिवेशन के प्रथम दिवस सायंकाल खुला सत्र एवं साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस सत्र में शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा शिक्षक समस्याओं का प्रस्तुतीकरण किया गया। महामंत्री ने वर्ष भर में संगठन द्वारा शिक्षक समस्याओं के समाधान में अर्जित उपलब्धियों एवं गतिविधियों तथा सम्पन्न सांगठनिक-वैचारिक कार्यक्रमों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिसे सदन द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके पश्चात् प्रान्तीय अंकेक्षक डॉ. महेन्द्र गोखरु ने 31 मार्च 2017 को सम्पन्न वित्तीय वर्ष का आय-व्यय लेखा व चिट्ठा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। साधारण सभा द्वारा तीन प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किए गये - 1. मानवाधिकारों का संरक्षण कर्त्तव्य पालन में ही है। 2. नौकरशाही के नियंत्रण से मुक्त हो उच्च शिक्षा। 3. शिक्षा व शिक्षकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाये। इसके अतिरिक्त साधारण सभा द्वारा सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया गया कि अधिवेशन के स्ववित्तपोषित होने एवं उस पर हो रहे व्यय में प्रत्येक शिक्षक की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आगामी सत्र से सदस्यता शुल्क के साथ अधिवेशन शुल्क का संग्रहण हो। साधारण सभा ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि सत्र 2018-19 से 100/- सदस्यता शुल्क के साथ 100/-अधिवेशन शुल्क प्रत्येक सदस्य से संग्रहित किया जाए तथा अधिवेशन का पंजीयन शुल्क 200/- के स्थान पर 100/-रखा जाए। साधारण सभा ने यह प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से स्वीकृत किया कि संगठन की गतिविधियों हेतु एक स्थान लेने के लिए ट्रस्ट बनाकर प्रयास किये जाएँ तथा इसमें संगठन की कुल बचत से सहभाग दिया जाए एवं आवश्यक होने पर सदस्यों से सहयोग राशि एकत्र की जाये। साधारण सभा द्वारा गत अधिवेशन के पश्चात् दिवंगत शिक्षक साथियों को दो मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजलि भी दी गई।

शिक्षक सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम - अधिवेशन के प्रथम दिवस ही सायंकाल में सेवानिवृत्ति के पश्चात् बीकानेर में रह रहे 55 सेवानिवृत्त महाविद्यालय शिक्षकों का शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मान किया गया। इसके पश्चात् सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों एवं राज्य के ख्यातिप्राप्त कलाकारों द्वारा भवई नृत्य, चकरी

नृत्य, लोकगीत, सूफीगीत, देशभक्ति गीत आदि प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अनिला पुरोहित ने किया। अन्त में संगठन अध्यक्ष डॉ. दिग्विजयसिंह एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष प्रो. जे. पी. सिंघल जी ने सभी कलाकारों को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया।

शैक्षिक संगोष्ठी – अधिवेशन के द्वितीय दिवस 9 जनवरी 2018 को आयोजित शैक्षिक संगोष्ठी का विषय ''उच्च शिक्षा में परीक्षा एवं मूल्यांकन: दशा एवं दिशा'' रहा। सत्र के मुख्य वक्ता राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. बी. एल. चौधरी जी तथा अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संगठन मंत्री श्री महेन्द्र जी कपूर रहे। डॉ. चौधरी ने बोर्ड द्वारा परीक्षा प्रश्न-पत्र निर्माण तथा परीक्षा प्रश्न पत्र निर्माताओं की ग्रेडिंग व मूल्यांकन पद्धति में किये जाने वाले प्रयोगों को विश्वविद्यालय स्तर पर भी लागू करने की आवश्यकता जताई। श्री महेन्द्र जी कपूर ने शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के मुकाबले के लिए आदर्श चरित्र वाले शिक्षकों की आवश्यकता पर बल दिया। परिचर्चा में डॉ. अम्बिका ढाका, डॉ. पी.डी. राजौरा, डॉ. विष्णु दत्त दवे, डॉ. बबीता जैन, डॉ. ओमप्रकाश पारीक, डॉ. रचना तैलंग आदि शिक्षकों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किये। संगोष्ठी का संचालन डॉ. विक्रमजीत ने किया।

समारोप कार्यक्रम – समारोप सत्र के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षण प्रमुख श्री स्वान्तरंजन जी रहे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीयता व चरित्र निर्माण का समावेश करने पर बल देते हुए बताया कि आचार्य वही हो सकता है जो अनेक शास्त्रों का अध्ययन करे, स्वयं श्रेष्ठ आचरण करे तथा दूसरों से श्रेष्ठ आचरण करवाये। उन्होंने शिक्षकों से राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका पहचानते हुए कर्त्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करने का आह्वान किया। अधिवेशन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर पश्चिम क्षेत्र प्रचारक श्री दुर्गादास जी, उत्तर पश्चिम क्षेत्र कार्यवाह श्री हनुमान सिंह जी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद जी अग्रवाल, प्रो. धर्मचन्द जी जैन, श्री जसवंतजी खत्री सहित अनेक गणमान्य बन्धुओं का सान्निध्य भी प्राप्त हुआ।

विमोचन – संगठन पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक/शैक्षिक महत्व के किसी विषय को लेकर शिक्षकों एवं समाज के वैचारिक प्रबोधन हेतु प्रदेश अधिवेशन में एक स्मारिका का प्रकाशन कर रहा है। इस अधिवेशन में कर्त्तव्यबोध विषय पर प्रकाशित स्मारिका ***'कर्मण्येवाधिकारस्ते'*** का विमोचन उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी जी द्वारा किया गया। स्मारिका में देश के जाने माने चिन्तकों के अलावा राज्य की उच्च शिक्षा में कार्यरत विद्वानों के लेखों का संकलन है।

शुभकामना संदेश – 56वें प्रान्तीय अधिवेशन की सफलता एवं इस अवसर पर प्रकाशित स्मारिका ***'कर्मण्येवाधिकारस्ते'*** हेतु प. पू. सरसंघचालक मा. मोहनरावजी भागवत, सरकार्यवाह मा. भय्याजी जोशी, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री मा. प्रकाश जावड़ेकर जी, मुख्यमंत्री मा. वसुन्धरा राजे जी, उच्च शिक्षामंत्री मा. किरण माहेश्वरी जी एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संगठन मंत्री मा. महेन्द्र जी कपूर के शुभकामना संदेश प्राप्त हुए। संगठन सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

प्रदेश कार्यकारिणी बैठक – संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक बीकानेर में 07 जनवरी को आयोजित की गई। सर्वप्रथम महामंत्री द्वारा गत बैठक का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया। जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके बाद गत बैठक के पश्चात् संगठन की गतिविधियों एवं उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। बैठक में महामंत्री प्रतिवेदन, प्रस्ताव एवं आय-व्यय विवरण पर चर्चा कर अन्तिम रूप दिया गया। सामूहिक कल्याण मंत्र के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

शिक्षक समस्याओं के संबंध में संगठन की अन्य गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

30 जून 2015 तक शेष पात्र शिक्षकों को वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान स्वीकृत – 30 जून 2015 तक वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान हेतु पात्र शिक्षकों में से कतिपय कारणों से लंबित रहे प्रकरणों का शीघ्र निपटारा कर इन शिक्षकों को वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान देने हेतु संगठन ने निरन्तर दबाव बनाया था। संगठन के प्रयासों की परिणति में दिनांक 24-1-2018 को स्क्रीनिंग समिति की बैठक जयपुर में सम्पन्न हुई। समिति की अनुशंसा पर 79 शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान तथा 68 शिक्षकों को चयनित वेतनमान स्वीकृत किये गए हैं। संगठन सभी लाभान्वित शिक्षकों को बधाई प्रेषित करता है।

शिक्षक सम्मान हेतु समिति गठित - संगठन की मांग पर बीकानेर अधिवेशन में उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरीजी ने स्कूल शिक्षा की भांति ही शिक्षक दिवस पर उच्च शिक्षा में कार्यरत श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित करने की घोषणा की थी। प्रसन्नता का विषय है कि उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग ने क्र. 12(8) शिक्षा/ग्रुप-3/2018 दिनांक 10-1-2018 द्वारा राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रति वर्ष सम्मानित करने हेतु न्यूनतम पात्रता, नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए प्रो. राकेश कोठारी, कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय के संयोजकत्व में समिति गठन के आदेश जारी करते हुए समिति को अपनी अनुशंसा एक माह में देने हेतु निर्देशित किया है।

सी.ए.एस. योजना में पे बैंड-4 देने संबंधी प्रक्रिया के आदेश जारी - 30 जून 2013 के पश्चात् पात्र शिक्षकों को पे बैंड-4 देने हेतु संगठन ने भेंटवार्ताओं में सरकार पर लगातार दबाव बनाया है। संगठन के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि वित्त विभाग की स्वीकृति आई.डी. क्रमांक 101705128 के क्रम में शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग ने क्रमांक F 1(106) Edu-4/2010 दिनांक 30-1-2018 द्वारा पात्र शिक्षकों को पे-बैंड-4 देने संबंधी प्रक्रिया हेतु आयुक्त कॉलेज शिक्षा को निर्देश जारी कर दिये हैं। उल्लेखनीय है कि संगठन द्वारा इस विषय को बीकानेर अधिवेशन में भी प्रमुखता से उठाया गया था। संगठन का प्रयास है कि अपेक्षित निर्देश जारी होने के बाद अब आयुक्तालय त्वरित रूप से आवेदन पत्रों की जाँच कर पात्र शिक्षकों को उनका वित्तीय अधिकार प्रदान करें।

लोक सेवा आयोग अध्यक्ष से भेंट - संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने 11 जनवरी 2018 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. राधेश्याम गर्ग से भेंट कर महाविद्यालय शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने की मांग की। संगठन द्वारा डॉ. गर्ग को बताया गया कि राज्य की महाविद्यालय शिक्षा में शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद रिक्त रहने के कारण महाविद्यालयों का शैक्षणिक वातावरण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पहले से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे महाविद्यालयों से शिक्षकों को अन्य स्थानों पर प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। इस पूरे परिदृश्य में लोकसेवा आयोग द्वारा पिछले 2 वर्षों में अत्यन्त धीमी गति से चयन प्रक्रिया का सम्पन्न होना आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। डॉ. गर्ग ने प्रतिनिधिमण्डल को विश्वास दिलाया कि वे महाविद्यालयों शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को प्राथमिकता से लेकर शीघ्र सम्पन्न करवाने के प्रयास करेंगे।

केन्द्र की योजनानुसार संगठन की विभिन्न इकाईयों द्वारा कर्त्तव्य बोध दिवस सम्पन्न हुए हैं, इन कार्यक्रमों की विस्तृत रिपोर्ट आगामी परिपत्र में दी जाएगी। पदनाम परिवर्तन हेतु संघर्ष के क्षणों में, सांगठिनक-वैचारिक कार्यक्रमों में आप सब शिक्षक साथियों ने संगठन पर विश्वास जताते हुए समय-समय पर जो सहयोग किया है, उसके लिए आपको करबद्ध प्रणाम करता हूँ। संगठन के प्रति आपका सहयोग, समर्थन, विश्वास एवं प्रेम इसी प्रकार बना रहे और हम सब मिल कर राजस्थान की उच्च शिक्षा को निरन्तर प्रगति के पथ पर ले जाएँ, यही प्रार्थना एवं शुभकामना है।

भवदीय

(डॉ. नारायणलाल गुप्ता)
[महामंत्री]

20, चित्रकूट कॉलोनी,
माकड़वाली रोड़, अजमेर-305004

अमृत वचन

"यदि हम मातृभाषा की उन्नति नहीं कर सके और हमारा यह सिद्धान्त रहे कि अंग्रेजी के जरिये ही हम अपने ऊँचे विचार प्रकट कर सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं तो इसमें जरा भी शक नहीं कि हम सदा के लिए गुलाम बने रहेंगे। जब तक हमारी मातृभाषा में हमारे सारे विचार प्रकट करने की शक्ति नहीं आ जाती और जब तब वैज्ञानिक विषय मातृभाषा में नहीं समझाये जा सकते, तब तक राष्ट्र को नया ज्ञान नहीं मिल सकेगा।" ***- महात्मा गाँधी***

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)
56वाँ प्रांतीय अधिवेशन, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

दिनांक 8-9 जनवरी 2018

महामंत्री प्रतिवेदन

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) सांस्कृतिक राष्ट्रभाव के वैचारिक अधिष्ठान को केन्द्र में रखकर शिक्षक, शिक्षा एवं समाजहित में निरन्तर सक्रियता से गरिमापूर्वक कार्य कर रहा है। संगठन का 55 वाँ प्रदेश अधिवेशन 11 व 12 जनवरी 2017 को **राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर** में सम्पन्न हुआ। 55वें अधिवेशन एवं उसके पश्चात् शिक्षक समस्याओं के समाधान हेतु संगठन द्वारा किए गए प्रयासों एवं उपलब्धियों के साथ सम्पन्न सांगठनिक एवं वैचारिक कार्यक्रमों का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत है-

शिक्षक समस्याओं के संबंध में उपलब्धियाँ एवं गतिविधियाँ

1. **पदनाम परिवर्तन के संघर्ष को लक्ष्य तक ले जाने हेतु विजिगीषु प्रयास** - विभिन्न स्तरों पर मंत्रीगणों व उच्चाधिकारियों के साथ नियमित अंतराल पर पत्राचार एवं भेंटवार्ताओं, हस्ताक्षर अभियान, लगभग सौ जनप्रतिनिधियों से समर्थन पत्र लेने और सम्पूर्ण प्रदेश से 4000 से अधिक शिक्षकों द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन करने जैसे संगठन के एकनिष्ठ घनीभूत प्रयासों के फलस्वरूप अंतत: 11 जनवरी 2017 को जयपुर में आयोजित संगठन के प्रदेश अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी ने महाविद्यालय शिक्षकों के पदनाम व्याख्याता के स्थान पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर करने की घोषणा की।

   इसके बाद से ही संगठन शिक्षक हितानुसार पदनाम परिवर्तन के नियम जारी करवाने हेतु निरन्तर जागरुक एवं सक्रिय रहा है। संगठन द्वारा शीघ्र नियम जारी करवाने के प्रयासों के चलते मुख्यमंत्रीजी ने अपनी घोषणा को मूर्तरूप देते हुए 17 मई 2017 को राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) संशोधन नियम 2017 की अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी दे दी। किन्तु पदनाम परिवर्तन के नियमों के प्रारूप में शिक्षक हित के विपरीत कतिपय प्रावधानों के संगठन के संज्ञान में आते ही नौकरशाही द्वारा डाली गई विभिन्न अड़चनों एवं बाधाओं के विरुद्ध संगठन द्वारा पुन: संघर्ष का दौर प्रारम्भ हुआ। संगठन की इस संबंध में कॉलेज शिक्षा आयुक्त से लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा), शासन सचिव (वित्त), प्रमुख शासन सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय), अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव (वित्त) एवं अन्य अधिकारियों सहित उच्च शिक्षा मंत्री से विभिन्न स्तरों की विस्तृत वार्ताएँ सम्पन्न हुई। संगठन द्वारा इन भेंटवार्ताओं में शिक्षकों का पक्ष विभिन्न दस्तावेजों व तथ्यों के साथ मजबूती से रखते हुए पदनाम परिवर्तन के नियमों में शामिल विभिन्न नकारात्मक प्रावधानों को हटाने हेतु दबाव बनाया गया। संगठन के संघर्ष के फलस्वरूप अंतत: शिक्षकहित के विपरीत अनेक प्रावधानों को संशोधित किया गया तथा संशोधित प्रारूप को मुख्यमंत्री जी ने 15 अक्टूबर 2017 को अंतिम रूप से स्वीकृत किया। संगठन के द्वारा मजबूती से पक्ष रखने व निरन्तर एकनिष्ठ प्रयासों का परिणाम है कि कॉलेज शिक्षा के इतिहास में प्रथम बार असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर पदनाम के साथ 477 प्रोफेसर के पद सृजित किया जाना तय हुआ है, महाविद्यालय प्राचार्यों के भी 75 प्रतिशत पद एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा व 25 प्रतिशत पद प्रोफेसर द्वारा भरा जाना एवं प्रोफेसर के सभी पद सीएएस योजना के अन्तर्गत एसोसिएट प्रोफेसर पद से भरा जाना निश्चित किया गया।

   मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति के पश्चात् संगठन ने पदनाम परिवर्तन की फाईल को निरन्तर ट्रेक करते हुए ये नियम शीघ्र पारित करने हेतु संबंधित पक्षों पर दबाव बनाया। फलस्वरूप वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, लोकसेवा आयोग एवं विधि विभाग द्वारा पदनाम परिवर्तन के नियमों के प्रारूप को सूक्ष्म संशोधनों के साथ स्वीकृत कर दिया है। इसके बाद केबिनेट द्वारा इसे औपचारिक रूप से पारित कर नोटिफिकेशन जारी होना है।

2. **विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों के नवीन वेतनमान केन्द्र द्वारा स्वीकृत** - 11 अक्टूबर 2017 को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के अनुगमन में नवीन वेतनमान स्वीकृत किये गए। नवीन वेतनमान की विस्तृत सेवा शर्तें अभी जारी होनी है। रुक्टा (राष्ट्रीय) पिछले काफी समय से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के माध्यम से नवीन यू.जी.सी. वेतनमान लागू करवाने हेतु निरन्तर प्रयासरत था। इस विषय में महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने नियमित अंतराल पर मानव संसाधन विकास मंत्रीजी से विभिन्न भेंटवार्ताओं एवं यू.जी.सी. पे रिव्यू कमेटी को विभिन्न ज्ञापनों एवं दस्तावेजों के माध्यम से शिक्षक हित में नवीन वेतनमान शीघ्र लागू करने हेतु दबाव बनाया था। रुक्टा (राष्ट्रीय) के प्रतिनिधिमंडल ने भी भोपाल में यू.जी.सी. पे रिव्यू कमेटी को तथ्यों एवं दस्तावेजों सहित विस्तृत प्रस्तुति दी थी। रुक्टा (राष्ट्रीय) द्वारा नवीन यू.जी.सी.

वेतनमानों में रही विसंगतियों को शैक्षिक महासंघ के माध्यम से केन्द्र सरकार को पहुँचाया है। महासंघ की मानव संसाधन विकास मंत्री जी से हुई विस्तृत भेंट में नवीन यू.जी.सी. वेतनमानों को लागू करने में राज्य सरकार पर आने वाले सम्पूर्ण व्यय भार को वहन करने, पीएच.डी. एवं एम.फिल की वेतनवृद्धियों को जारी रखने एवं स्नातक प्राचार्य को प्रोफेसर ग्रेड देने सहित अन्य विसंगतियों को दूर करने हेतु दबाव बनाया गया है।

3. **महाविद्यालय शिक्षक कुलपति पद हेतु पात्र** – यह संज्ञान में आते ही कि, सरकार एक ऐसे विधेयक को विधानसभा से पारित करवाने जा रही है जिससे केवल विश्वविद्यालय के शिक्षक, जिन्हें प्रोफेसर पद पर 10 वर्ष का न्यूनतम अनुभव है, को ही कुलपति पद के लिये पात्र माना जायेगा, संगठन ने तुरन्त उच्च शिक्षा मंत्रीजी से भेंट कर इस विषय को लेकर विरोध जताया। संगठन ने विस्तृत तथ्यों एवं तर्कों के साथ शिक्षकों का पक्ष रखा कि महाविद्यालय शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन की प्रक्रिया जारी है जिसमें प्रोफेसर पदनाम देना भी शामिल है, ऐसी स्थिति में प्रस्तावित विधेयक में महाविद्यालय शिक्षकों को भी कुलपति पद हेतु पात्र माना जाने एवं कुलपति पद पर रिक्ति होने की दशा में चार्ज शिक्षाविद को ही दिया जाए। संगठन के प्रयासों के परिणामस्वरूप अन्ततः विधानसभा में महाविद्यालय शिक्षकों को भी विश्वविद्यालय कुलपति पद हेतु पात्र मानने तथा कुलपति पद पर रिक्ति होने की स्थिति में चार्ज प्रशासनिक अधिकारी को न देकर शिक्षाविद् को ही दिये जाने का प्रावधान कर संशोधित विधेयक पारित किया गया।

4. **1 अप्रैल 1994 के बाद नियुक्त शिक्षकों की अंतरिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन** – संगठन लम्बे समय से 1 अप्रैल 1994 के बाद नियुक्त महाविद्यालय शिक्षकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने की माँग करता आ रहा था। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री जी एवं अधिकारियों से निरन्तर भेंटवार्ताओं एवं पत्राचार के बाद अन्ततः संगठन की माँग का निस्तारण करते हुए 15 मई 2017 को जारी आदेश द्वारा 1-4-1994 से 1-4-2007 के मध्य नियुक्त शिक्षकों की अंतरिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन कर दिया गया।

5. **प्राचार्य पदों पर पदस्थापन** – वर्ष 2016-2017 की डी.पी.सी. के अनुरूप दिसम्बर 2016 के बाद प्राचार्य के रिक्त हुए पदों पर पदस्थापन नहीं हो पाया था। संगठन ने सरकार पर निरन्तर दबाव बना कर डी.पी.सी. के अनुरूप रिक्तपदों पर पदस्थापन करने तथा इसके बाद भी महाविद्यालयों में प्राचार्य पद रिक्त रहने पर पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण के आधार पर पात्र शिक्षकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नति देने की माँग की। परिणामस्वरूप डी.पी.सी. की सूची एवं उसके बाद पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण के आधार पर स्नातकोत्तर तथा स्नातक प्राचार्य पद पर पात्र शिक्षकों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये।

6. **उपाचार्य पद पर पदस्थापन** – मार्च माह में संगठन के प्रयासों से सत्र 2016-17 हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्राचार्य पदों पर तो पदस्थापन कर दिया गया किन्तु उपाचार्य पदों पर पदनाम परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए पदस्थापन नहीं किया गया था। संगठन द्वारा इस विषय में सरकार से माँग की गई कि जिन शिक्षकों की डी.पी.सी. उपाचार्य पद हेतु हो चुकी है उन्हें पदस्थापित कर उनके पदोन्नति अधिकार को प्रदान करें। संगठन के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए सरकार द्वारा डी.पी.सी. के अनुरूप उपाचार्य पद पर पदस्थापन के आदेश जारी किये गए।

7. **जून 2017 तक वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान हेतु आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ** – संगठन निरन्तर भेंटवार्ताओं एवं पत्रों के माध्यम से कॅरियर एडवांसमेन्ट योजना का लाभ देने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक समयबद्ध आयोजित करने की माँग करता आ रहा है। संगठन के प्रयासों के क्रम में 5 दिसम्बर 2017 को सी.ए.एस. के अन्तर्गत 30 जून 2017 तक वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान के पात्र शिक्षकों को यह लाभ देने के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई।

8. **30 जून 2015 तक लम्बित वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान हेतु प्रयास** – गत जुलाई 2016 में 30 जून 2015 तक पात्र शिक्षकों को वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया था, किन्तु 172 प्रकरणों के आवेदन पत्रों में कतिपय कमियों के कारण उन्हें उक्त लाभ नहीं मिल सका था। संगठन के लगातार प्रयासों की परिणति में 30 जून 2015 तक वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान के पात्र शिक्षकों को सी.ए.एस. के अन्तर्गत लाभ देने के लिए स्क्रीनिंग समिति की बैठक हेतु सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग को पत्र प्रेषित कर दिया गया। लोक सेवा आयोग से स्क्रीनिंग समिति की बैठक हेतु तिथि निर्धारित होने पर पात्र शिक्षकों को अपेक्षित लाभ मिल सकेगा।

9. **महाविद्यालयों में रिक्त अशैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया में प्रगति** – संगठन लम्बे समय से महाविद्यालयों में रिक्त पड़े अशैक्षणिक पदों पर भर्ती की माँग करता आया है। संगठन के लगातार प्रयासों के चलते 130 प्रयोगशाला सहायकों की चयन प्रक्रिया पूर्ण हुई एवं इनके दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् शीघ्र ही पदस्थापन हो सकेगा। इसी प्रकार 66 लिपिकों हेतु भी चयन प्रक्रिया पूर्ण हुई है इनका भी शीघ्र पदस्थापन करवाने के लिए संगठन प्रयासरत है।

10. **लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों की पदस्थापन प्रक्रिया प्रारम्भ** – संगठन द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री जी से एवं अधिकारियों से भेंटवार्ताओं में शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण महाविद्यालयों में आ रही समस्याओं के निवारण की नियमित अंतराल पर माँग

की गई। संगठन के प्रयासों से लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के परिणाम घोषित होने के साथ ही क्रमश: विभाग ने पदस्थापन की प्रक्रिया प्रारम्भ की।

11. **दिसम्बर 2017 तक शिक्षकों के संभावित रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से सहमति प्राप्त** – कैडर में शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण भविष्य में महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी की समस्या उत्पन्न न हो इसे दृष्टिगत रखते हुए संगठन द्वारा आगामी वर्ष में रिक्त होने वाले शिक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया उन पदों के रिक्त होने से पूर्व ही प्रारम्भ करने की माँग की गई। संगठन की सक्रियता एवं प्रयासों के चलते दिसम्बर 2017 तक शिक्षकों के रिक्त होने वाले संभावित 939 पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग से अग्रिम स्वीकृति प्राप्त हो गई है। संगठन का प्रयास है कि इन पदों पर चयन प्रक्रिया समय पर प्रारम्भ हो जाये।

12. **आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों के पूर्व अनुदानित सेवा में ड्यू वरिष्ठ व चयनित वेतनमान के लिए राज्य सरकार के विभाग प्रतिनिधि मनोनयन के आदेश** – ऐसे आर.वी.आर.ई.एस. व्याख्याता जिनका वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान पूर्व अनुदानित सेवा में 31-12-2008 के पूर्व ड्यू हो चुका था, राज्य सेवा में उनके समायोजन पश्चात् भी प्रबन्ध समितियों द्वारा उक्त सी.ए.एस. लाभ नहीं दिये जाने पर संगठन ने उच्च शिक्षामंत्रीजी एवं विभाग के अधिकारियों से इस प्रकरण में कार्यवाही की माँग की। संगठन के लगातार दबाव की परिणिति में आयुक्तालय द्वारा 8 मार्च 2017 को 31-12-2008 से पूर्व अनुदानित सेवा में ड्यू वरिष्ठ व चयनित वेतनमान के लिए राज्य सरकार के विभाग प्रतिनिधि मनोनयन के आदेश जारी कर दिये गये।

13. **आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों की अनुदानित सेवा अवधि के बकाया भुगतान की कार्यवाही** – संगठन ने राज्य सरकार से लगातार विभिन्न भेंटवार्ताओं एवं पत्रों द्वारा आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों की अनुदानित सेवा अवधि के बकाया (छठा वेतनमान एरियर, उपार्जित अवकाश नगदीकरण, उपादान राशि आदि) के भुगतान की माँग की। इस विषय पर उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से भी राज्य सरकार को आदेश प्राप्त हुए। संगठन ने उच्च शिक्षा मंत्रीजी से राज्य सरकार द्वारा इस विषय को अकारण ही प्रतिष्ठा का विषय बनाकर आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों के बकाया भुगतान को लम्बित नहीं करने की माँग की। राज्य सरकार द्वारा गत 28 जून 2017 को कई आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों एवं कार्मिकों के छठे वेतनमान एरियर में राज्य सरकार का अंश जमा करवा दिया गया।

14. **महाविद्यालय में आकस्मिक जाँच करने के लिए कनिष्ठ अधिकारी को अधिकृत करने का विरोध** – जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ ने राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ में निर्धारित समय पर उपस्थिति एवं पाबंदी की आकस्मिक जाँच हेतु क्रमश: सचिव नगर विकास न्यास एवं उपवन संरक्षक चित्तौड़गढ़ को अधिकृत करने के लिए आदेश जारी किए। संगठन ने तुरन्त प्रतिक्रिया करते हुए वेतनमान एवं प्रोटोकॉल में कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा महाविद्यालय प्राचार्य एवं शिक्षकों की उपस्थिति जाँच करने का पुरजोर विरोध किया। परिणामस्वरूप प्रशासन को अपने निर्णय पर पुन: विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

15. **आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों पर 16 सी.सी.ए. की कार्यवाही के प्रस्ताव का विरोध** – कुछ आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों एवं प्रबंध समितियों द्वारा अनुदानित सेवा अवधि के बकाया के लिए राज्य सरकार पर कोर्ट में वाद दायर करने के कारण सरकार द्वारा संबंधित अनुदानित महाविद्यालयों के सभी शिक्षकों पर 16 सी.सी.ए. के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी, जिसका संगठन ने कड़ा विरोध किया। संगठन ने सभी तथ्यों के साथ उच्च शिक्षा मंत्रीजी से भेंट कर पक्ष रखा कि इस विषय में उच्च एवं उच्चतम न्यायालय ने अनुदानित सेवा अवधि के बकाया पर नियमानुसार अनुदान दिये जाने के आदेश दिये हैं, ऐसे में संबंधित आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों द्वारा किसी प्रकार की वचनबद्धता का उल्लंघन नहीं किया गया है। संगठन के विरोध के पश्चात् इन प्रकरणों पर विधिक राय ली गई। इस मामले में कुछ साथियों द्वारा न्यायालय से भी स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। अन्तत: सरकार द्वारा गत 5 अक्टूबर 2017 को आदेश प्रसारित कर 16 सी.सी.ए. की कार्यवाही को प्रत्याहरित कर लिया गया।

16. **शिक्षक दिवस पर उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के सम्मान की माँग** – संगठन द्वारा शिक्षक दिवस पर उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को भी अन्य शिक्षकों की भांति राज्य स्तर पर सम्मानित करने की पुरजोर माँग उच्च शिक्षा मंत्री जी से की गई। देश की युवा पीढ़ी को जिम्मेदार नागरिक बनाकर राष्ट्र निर्माण हेतु तैयार करने में उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों की प्रमुख भूमिका होने के उपरान्त भी विशिष्ट योगदान देने वाले ऐसे शिक्षकों को राज्य स्तर/विश्वविद्यालय स्तर पर सम्मान करने की ओर सरकार के ध्यान ना देने पर संगठन द्वारा रोष प्रकट किया गया। उच्च शिक्षा मंत्रीजी द्वारा संगठन के मत से सहमत होते हुए इस संबंध में समुचित निष्पक्ष प्रक्रिया निर्माण कर सम्मान प्रारम्भ करने का विश्वास संगठन को दिलाया गया।

17. **आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों के वेतन रोकने एवं प्राचार्य स्तर पर स्वीकृत पे-बैंड-4 को गलत मानने का विरोध** – आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा 1 जनवरी 2006 के बाद प्राचार्य स्तर पर बिना विभागीय अनुमोदन के पे बैंड-4 का लाभ गलत

मानने का संगठन द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। संगठन ने विस्तृत तथ्यों एवं दस्तावेजों के साथ पे बैंड-4 के परिलाभ की वसूली रोकने की माँग की। संगठन ने शिक्षक के द्वारा पक्ष रखने का मौका दिये बिना वसूली एवं वेतन रोकने का विरोध करते हुए इस संबंध में अपेक्षित आदेश निकालने की माँग की। संगठन द्वारा अधिक भुगतान को आपराधिक कृत्य मानते हुए एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की एक तरफा कार्यवाही का कड़ा विरोध किया गया। फलस्वरूप एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाने पर सहमति बनी।

18. **उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी द्वारा महाविद्यालय शिक्षकों से अभद्र व्यवहार का विरोध** - उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी द्वारा गत 15 नवम्बर एवं 25 नवम्बर को राजकीय महाविद्यालय हिण्डौन सिटी में दुर्भावना के साथ किए निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय शिक्षकों के साथ किए दुर्व्यवहार एवं उपस्थिति पंजिका में अनाधिकृत रूप से काट-छाँट करने की संगठन ने कड़ी निंदा करते हुए सरकार से उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी पर समुचित कार्यवाही करने तथा आवश्यक होने पर प्राचार्य के समकक्ष अथवा वरिष्ठ अधिकारी को ही महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु लगाये जाने की माँग की गई।

19. **मुख्यमंत्रीजी का आभार व्यक्त** - संगठन के 100 से अधिक शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नसीराबाद में 17 अक्टूबर 2017 को मुख्यमंत्री जी से मिलकर महाविद्यालय शिक्षकों का पदनाम व्याख्याता के स्थान पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर करने पर उनका आभार व्यक्त किया। संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री जी का चुनरी ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य के शिक्षकों के उत्थान हेतु ही रुक्टा (राष्ट्रीय) के जयपुर अधिवेशन में उन्होंने पदनाम परिवर्तन की घोषणा की थी, किन्तु कतिपय अधिकारियों की नासमझी से इस विषय को अंतिम बिन्दु तक पहुँचने में समय लगा है।

20. **उच्च शिक्षा मंत्रीजी का अभिनंदन** - शिक्षकों की वर्षों से लम्बित पदनाम परिवर्तन की माँग को मुख्यमंत्रीजी से मंजूर करवाने एवं तत्पश्चात नौकरशाही द्वारा उत्पन्न विभिन्न अड़चनों के समाधान में लगातार सक्रिय एवं सकारात्मक सहयोग के लिए उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण जी माहेश्वरी का बीकानेर, अजमेर, कोटा, जोधपुर एवं अलवर संगठन इकाईयों द्वारा चुनरी ओढ़ाकर, सम्मान पत्र एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया गया।

भेंटवार्ताएँ

शिक्षा एवं शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण कराने हेतु संगठन ने समय-समय पर मंत्रीगणों एवं अधिकारियों के साथ भेंट कर संगठन का विस्तृत पक्ष रखा। फलतः कई समस्याओं के हल मिले एवं कई समस्याओं के समाधान में प्रगति हुई।

1. **उच्च शिक्षा मंत्रीजी से भेंट** - शिक्षक समस्याओं को हल करवाने हेतु संगठन उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण जी माहेश्वरी के निरन्तर सम्पर्क में रहा और नियमित अंतराल पर भेंटवार्ताएँ की। संगठन द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री जी से 19 फरवरी, 9 मार्च, 29 मार्च, 8 मई, 28 जून, 1 अगस्त, 7 सितम्बर, 12 अक्टूबर, 7 दिसम्बर एवं 26 दिसम्बर 2017 को भेंट कर पूर्व में लम्बित एवं तात्कालिक समस्याओं का समाधान करवाने हेतु दबाव बनाए रखा। संगठन की सक्रियता के चलते मंत्रीजी द्वारा अधिकारियों से विभिन्न समस्याओं के हल हेतु प्रगति जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गए। संगठन द्वारा की गए भेंटवार्ताओं में पदनाम परिवर्तन हेतु शिक्षक हितानुकूल नियम बनाने, 30 जून 2013 के बाद पात्र शिक्षकों को पे बैंड-4 देने, जून 2015 तक बकाया वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान हेतु पात्र शिक्षकों की स्क्रीनिंग करवाने, आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों के सी.ए.एस. की फाईल को वित्त विभाग में भेजकर अपेक्षित लाभ दिलवाने, यू.जी.सी. नियमानुसार सभी पात्र शिक्षकों को पूर्व सेवा का लाभ देने, शारीरिक शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, प्रयोगशाला सहायकों एवं अन्य मंत्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने, पीएच.डी. हेतु कोर्स वर्क से छूट अथवा सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था करने एवं पीएच.डी. वेतन वृद्धियों को पुनः प्रारम्भ करने, जनवरी 2006 से जून 2006 के मध्य ड्यू वेतन वृद्धि वाले शिक्षकों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने, आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों पर प्रस्तावित 16 सी.सी.ए. के तहत कार्यवाही को रोकने, पूर्व अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के पूर्व बकाया की समस्या का स्थाई समाधान करने, प्राचार्य एवं उपप्राचार्य पद हेतु डी.पी.सी. प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न करवाने, लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को क्रमानुसार अविलम्ब नियुक्ति देने, लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया को गति देने, उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर सम्मानित करने, नवीन कार्यभार के अनुरूप पद सृजित करने, शारीरिक शिक्षकों के पदनाम बदलने, पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षकों को संगोष्ठियों में भाग लेने हेतु अकादमिक अवकाश देने, आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों के वेतन पर लगी रोक हटाने, निदेशक अकादमी पद पर शिक्षक की नियुक्ति करने, 1 जनवरी 1994 के बाद नियुक्त शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी करने, महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को सरलीकृत कर कम अवधि में सम्पन्न करवाने, विखण्डित महाविद्यालयों की समस्याओं का समाधान करने, महाविद्यालय शिक्षकों को कुलपति पद हेतु पात्र मानने एवं कुलपति पद पर रिक्ति होने की दशा में चार्ज शिक्षाविद को ही देने, संविदा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करने आदि विषयों पर विस्तृत रूप से शिक्षकों का पक्ष रखा गया।

2. **केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रीजी से भेंट** – संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने 7 सितम्बर 2017 को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जी जावडेकर से केन्द्र संबंधी शिक्षक समस्याओं के समाधान करने को लेकर भेंट की। संगठन द्वारा श्री जावडेकर जी से यू.जी.सी. रेग्यूलेशन 2010 के प्रावधानों को समग्रता से लागू करवाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश प्रसारित करने, सेवारत शिक्षकों द्वारा पीएच.डी. करने पर कोर्स वर्क से छूट देने अथवा सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था करने तथा रिफ्रेशर व ऑरियन्टेशन कोर्स की छूट अवधि 31 दिसम्बर 2017 तक बढ़ाने की माँग की गई।

3. **आयुक्त महोदय से भेंट** – 10 फरवरी, 3 नवम्बर एवं 7 दिसम्बर 2017 को संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने कॉलेज शिक्षा आयुक्त श्री आशुतोष पेडणेकर से भेंट कर शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं की समाधान प्रक्रिया में गति लाने की माँग की। वार्ता के विषयों में लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति देने, 30 जून 2013 के पश्चात् पे बैंड-4 देने, आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों के वेतन बिल बनाने हेतु प्राचार्यों को निर्देश देने, शारीरिक शिक्षकों का पदनाम परिवर्तन करने, प्राचार्य व उपप्राचार्य पद की डी.पी.सी. करने, वरिष्ठ/चयनित वेतनमान के लंबित प्रकरणों का समाधान व नवीन आवेदन मँगवाने सहित अन्य विषय शामिल थे।

4. **लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य से भेंट** – संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री ललित पंवार एवं सदस्य श्री शिवसिंह राठौड़ से भेंट कर महाविद्यालय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न करने की माँग की। पिछले दो वर्षों से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया लंबित होने के कारण राज्य में महाविद्यालय शिक्षा बुरी तरह प्रभावित होने संबंधी तथ्य उन्हें विस्तार से बताए गए। संगठन के लगातार प्रयासों से आयोग द्वारा कुछ विषयों में साक्षात्कार सम्पन्न हो चुके हैं, शेष के लिए प्रयास जारी है।

लिखे गये पत्र

शासन-प्रशासन में कागज बोलता है, कागज चलता है एवं कागज पर ही निर्णय होते हैं। इस तकनीकी सत्य को संगठन ने सदैव ध्यान रखा है और इसलिए मंत्रीगणों/अधिकारियों से हुई भेंट वार्ताओं में शिक्षक समस्याओं के संबंध में विस्तृत तथ्यों सहित लिखित पत्र प्रस्तुत किये ही हैं साथ ही विभिन्न लम्बित तथा तात्कालिक सामूहिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षामंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा), आयुक्त कॉलेज शिक्षा, विश्वविद्यालयों के कुलपतिगणों सहित अन्य अधिकारियों से निरन्तर पत्राचार कर त्वरित समाधान की माँग की गई। संगठन द्वारा लिखे पत्रों के कारण कई व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं का समाधान हुआ है एवं कई पत्रों पर कार्यवाही चल रही है। संगठन द्वारा लिखे गए पत्रों में मंत्रीगणों व अधिकारियों से भेंटवार्ताओं में उल्लेखित विषयों पर तो विस्तृत पत्र, ज्ञापन एवं स्मरण पत्र सम्मलित हैं ही इसके अतिरिक्त सी.ए.एस. हेतु एपीआई अंकों में शिथिलता देने, वरिष्ठ व चयनित वेतनमान हेतु पूर्व सेवा का लाभ देने में हुई विसंगतियों का निराकरण करने, उपखण्ड अधिकारी खैरवाड़ा द्वारा महिला व्याख्याता से दुर्व्यवहार के संबंध में कार्यवाही करने, जिला कलेक्टर दौसा द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ड्यूटी लगाने का विरोध, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर में संकाय सदस्यों के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट पर कार्यवाही करने, सितम्बर 2017 के वेतन दिलवाने, वेतन नियतन जाँच प्रमाण पत्र में शिथिलता देने, संविदा व्याख्याओं एवं सेवानिवृत्ति शिक्षकों के मानदेय को समय पर जारी करने, आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का विरोध, पुस्तकालयाध्यक्षों की ग्रेड पे में विसंगति ठीक करने, प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग विषय की अध्यापन व्यवस्था सुचारू करने सहित शिक्षकों की व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में भी विस्तार से पत्र लिख कर समाधान के प्रयास संगठन द्वारा किये गए हैं।

जयपुर अधिवेशन के पश्चात् शिक्षक समस्याओं के समाधान हेतु संगठन निरन्तर सक्रिय एवं कर्मशील रहा है। भेंटवार्ताओं, बैठकों, ज्ञापनों व पत्रों के माध्यम से संगठन ने सरकार के समक्ष शिक्षकों की भावनाओं का तार्किक एवं तथ्यपूर्ण प्रस्तुतीकरण कर शिक्षक हितार्थ घनीभूत प्रयास किये हैं। आप सब के सहयोग-समर्थन एवं साथ से पदनाम परिवर्तन सहित कई लंबित एवं तात्कालिक समस्याओं के हल निकले हैं या हम हल के निकट पहुँचे हैं। किन्तु अभी कई महत्वपूर्ण समस्याएँ बाकी है, नवीन यू.जी.सी. वेतनमान राज्य में लागू करवाने की चुनौती भी सामने है। निरन्तर कर्म एवं संघर्ष रुक्टा (राष्ट्रीय) की पहचान है। समस्याओं के समाधान का पथ कितना ही लंबा या कण्टकाकीर्ण ही क्यूँ न हो, इस यात्रा में रुक्टा (राष्ट्रीय) थकने, रुकने, बैठने या समझौता करने वाला नहीं है। संगठन अविरल चलती रहे साधना के मंत्र पर निरन्तर शिक्षक, शिक्षा एवं राष्ट्रहित में बढ़ते चलने हेतु संकल्पबद्ध है।

सांगठनिक एवं वैचारिक गतिविधियाँ

1. **प्रान्तीय अधिवेशन** – संगठन का 55वाँ प्रान्तीय अधिवेशन 11–12 जनवरी 2017 को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के कॉन्वोकेशन सेन्टर में सम्पन्न हुआ। अधिवेशन में सम्पूर्ण राज्य से राजकीय महाविद्यालयों, निजी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के 3000 से अधिक संभागियों ने भाग लिया। अधिवेशन के प्रथम सत्र में संगठन के संस्थापक महामंत्री प्रो. सत्यदेव देराश्री की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली व्याख्यानमाला के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह–प्रचार प्रमुख श्री जे. नंद कुमार जी ने शिक्षा पर साम्यवादी प्रभाव एवं राष्ट्र निर्माण विषय पर उद्‌बोधन दिया। सत्र की अध्यक्षता महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कुलपति प्रो. कैलाश जी सोडाणी ने की। उद्‌घाटन सत्र की मुख्य अतिथि प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी एवं अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी जी रही। इस ऐतिहासिक अधिवेशन के उद्‌घाटन सत्र में ही मुख्यमंत्री महोदया ने प्रदेश के महाविद्यालय शिक्षकों का पदनाम व्याख्याता से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर करने की घोषणा की।

   अधिवेशन के प्रथम दिवस सायंकाल खुला सत्र एवं साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस सत्र में शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा शिक्षक समस्याओं का प्रस्तुतीकरण किया गया। महामंत्री ने वर्ष भर में संगठन द्वारा शिक्षक समस्याओं के समाधान में हुई उपलब्धियों एवं गतिविधियों तथा सम्पन्न सांगठनिक–वैचारिक कार्यक्रमों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिसे सदन द्वारा सर्व–सम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके पश्चात प्रान्तीय कोषाध्यक्ष डॉ. अखिलेश्वर शर्मा ने 31 मार्च 2016 को सम्पन्न वित्तीय वर्ष का आय–व्यय लेखा व चिट्ठा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त साधारण सभा द्वारा तीन प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किए गये – 1. शैक्षणिक परिसरों को ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट केन्द्र बनाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएँ। 2. भारतीय परिवार व्यवस्था के संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएँ। 3. राज्य की उच्च शिक्षा क्षेत्र के उन्नयन हेतु शिक्षा व शिक्षकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाये। साधारण सभा द्वारा गत अधिवेशन के पश्चात दिवंगत शिक्षक साथियों को दो मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजलि भी दी गई।

   अधिवेशन के द्वितीय दिवस आयोजित शैक्षिक संगोष्ठी ''उच्च शिक्षा में जबावदेही व पारदर्शिता'' के मुख्य वक्ता केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा के निदेशक प्रो. नंद किशोर पाण्डेय तथा अध्यक्ष जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति प्रो. आर. पी. सिंह रहे। संगोष्ठी में 11 शिक्षकों ने शोधपत्र प्रस्तुत किए। शैक्षिक संगोष्ठी के पश्चात् संगठन के पूर्व अध्यक्ष प्रो. संतोष पाण्डेय ने आगामी दो वर्षों के लिए मनोनीत प्रान्तीय कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। समारोप सत्र के मुख्य वक्ता रा. स्व. संघ के क्षेत्र कार्यवाह श्री हनुमान सिंह जी राठौड़ ने कर्त्तव्य बोध पर उद्‌बोधन दिया। समारोप सत्र की अध्यक्षता अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महेन्द्र जी कपूर ने की।

2. **प्रदेश विचार वर्ग** – महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में दिनांक 9 से 11 जून 2017 तक संगठन का प्रदेश विचार वर्ग आयोजित किया गया, जिसमें देश के जाने–माने विद्वानों ने राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कार्यकर्त्ताओं का प्रबोधन किया। वर्ग में प्रदेश के सभी जिलों से आए 270 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विचार वर्ग में श्री हनुमानसिंहजी राठौड़ द्वारा हमारा वैचारिक अधिष्ठान, श्री जे. नंद कुमार जी द्वारा कम्यूनिज्म की पृष्ठभूमि एवं बदलता स्वरूप, केरल में राष्ट्रवादी लोगों पर हो रहे अत्याचार, प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी शर्मा द्वारा नियो कम्यूनिज्म पर आधारभूत व्याख्यान एवं प्रतिभागियों से फलदायी संवाद हुआ। वर्ग में संगठन के तीनों संभागों – जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़ की चक्रीय बैठकें भी सम्पन्न हुई। चक्रीय बैठकों में विद्वानों ने राष्ट्रवाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वर्तमान में समाज के समक्ष चुनौतियाँ जैसे उद्‌वेलित करने वाले विषयों पर प्रतिभागियों से युक्तियुक्त संवाद किया।

3. **कर्त्तव्य बोध दिवस** – अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर प्रदेश की योजनानुसार संगठन की 113 इकाईयों द्वारा 12 जनवरी से 23 जनवरी के मध्य इकाई स्तर पर कर्त्तव्य बोध दिवस मनाया गया। जिसमें संतों, शिक्षाविदों, चिंतकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कर्त्तव्य पालन का महत्त्व प्रतिपादित किया। कर्तव्य बोध दिवस कार्यक्रमों में 2650 शिक्षकों एवं 4800 विद्यार्थियों ने सहभाग किया।

4. **नवसंवत्सर कार्यक्रम** – हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संगठन की विभिन्न इकाइयों ने भारतीय नववर्ष विक्रम संवत् २०७४ का स्वागत समारोह पूर्वक किया। शिक्षक समुदाय द्वारा व्यक्तिशः मित्रों एवं संबंधियों को बधाई संदेश एवं शुभकामनाएँ प्रेषित की गईं। सामूहिक रूप से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर में तथा चौराहों पर सभी को तिलक लगाकर एवं प्रसाद वितरित कर शुभकामनाएँ दी गई। इसके अतिरिक्त अजमेर,अलवर,जयपुर,कला कोटा,दौसा, चुरू, केकड़ी, जैसलमेर, अनूपगढ़, सिरोही, सरदारशहर, सवाईमाधोपुर एवं वाणिज्य कोटा में भारतीय नववर्ष के महत्व एवं भारतीय कालगणना की वैज्ञानिकता पर संगोष्ठियाँ भी आयोजित की गई।

5. **अम्बेडकर जयंती पर कार्यक्रम** - संगठन की विभिन्न इकाईयों ने 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित उनकी मूर्ति पर पुष्पाजंलि अर्पित की तथा उनकी बताई समरसता की राह पर चलने का संकल्प लिया। सामाजिक समरसता विषय पर अजमेर, कोटा, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर व अलवर इकाईयों द्वारा विचार गोष्ठियाँ आयोजित की गई।

6. **गुरु-वंदन कार्यक्रम** - केन्द्र की योजना के अनुरूप रुक्टा (रा.) की 123 इकाईयों द्वारा प्रदेश भर में गुरु-वंदन कार्यक्रम सम्पन्न किये गये। इस अवसर पर आदिगुरु महर्षि वेदव्यास को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए भारत की गुरु-शिष्य परम्परा, उनके बीच पावन संबंध और वर्तमान में उनकी भूमिका पर प्रेरक व्याख्यान आयोजित किए गए। प्रबुद्ध एवं चिंतनशील शिक्षकों, समाज के अग्रणी विचारक-चिंतक प्रबुद्धजनों द्वारा भारत की गुरु परम्परा को आगे बढ़ाने में शिक्षकों द्वारा अपनी भूमिका तय करने का आह्वान किया गया।

7. **एक शिक्षक-एक वृक्ष कार्यक्रम** - शैक्षणिक परिसरों में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करने तथा धारणक्षम विकास हेतु अपने कर्तव्य निभाने के लिए संगठन द्वारा इस वर्ष एक शिक्षक-एक वृक्ष अभियान हाथ में लिया गया। इसके अन्तर्गत प्रति शिक्षक न्यूनतम एक वृक्ष लगाने एवं उसका पालन करने का जिम्मा लिया गया। इस अभियान को शिक्षकों की ओर से उत्साहपूर्ण सहयोग मिला। अलवर विभाग में 266, जयपुर-प्रथम में 574, जयपुर-द्वितीय में 490, सीकर विभाग में 638, बांसवाड़ा विभाग में 106, उदयपुर विभाग में 277, भीलवाड़ा विभाग में 101, अजमेर विभाग में 668, कोटा विभाग में 275, बारां विभाग में 155, श्रीगंगानगर विभाग में 368, बीकानेर विभाग में 295, बाड़मेर विभाग में 101, जोधपुर विभाग में 132, पाली विभाग में 120 पौधे एवं वृक्ष शिक्षकों/विद्यार्थियों द्वारा रोपे गए। कई स्थानों पर शिक्षकों के वित्तीय सहयोग से 5-10 फीट ऊँचे वृक्ष लगाए गए। शिक्षकों एवं स्थानीय सहयोग से पौधों की सुरक्षा हेतु कई परिसरों में लोहे, सीमेंट एवं ईंट के ट्री गार्ड की व्यवस्था भी की गई। अधिकांश स्थानों पर छाया देने वाले एवं औषधीय महत्व के पौधों/वृक्षों का चयन कर रोपण किया गया। जिन स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने स्वप्रेरणा से पिछले वर्ष पौधे/वृक्ष लगाए थे, उन वृक्षों का जन्मदिन भी समारोहपूर्वक मनाया गया।

8. **'चीन की चुनौती एवं स्वदेशी' विषय पर कार्यक्रम** - संगठन की विभिन्न इकाईयों द्वारा 'चीन की चुनौती एवं स्वदेशी' विषय पर संगोष्ठियाँ/जनजागरण कार्यक्रम सम्पन्न किए गए। अलवर, केकड़ी, पाली, भरतपुर, कोटा, ब्यावर, सरवाड़, अजमेर, बून्दी सहित कुल 17 स्थानों पर आयोजित संगोष्ठियों में वक्ताओं ने चीन की सामरिक एवं आर्थिक महत्वाकांक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए देश की समृद्धि, विकास एवं रोजगार हेतु स्वदेशी अपनाने हेतु आह्वान किया। इन कार्यक्रमों में 750 शिक्षकों सहित 3800 से अधिक विद्यार्थियों ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प लिया। कई स्थानों पर रुक्टा (राष्ट्रीय) द्वारा जागरण पत्रक छपवाकर समाज में वितरित किये गये।

9. **वार्षिक सदस्यता** - संगठन के वार्षिक सदस्यता अभियान के अन्तर्गत 1 जुलाई से 15 जुलाई 2017 तक सदस्यता एकत्रित की गई। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क कर सदस्यता प्राप्त की। 1 जुलाई 2017 को अकादमिक सत्र के प्रथम दिवस पर एक ही दिन में 4151 शिक्षकों ने संगठन की वार्षिक सदस्यता ग्रहण की। इस वर्ष अभियांत्रिकी, संस्कृत शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में भी प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णयानुसार सदस्यता अभियान प्रारम्भ किया गया। इस वर्ष की कुल वार्षिक सदस्यता 6137 रही जो पिछले वर्ष से 464 अधिक है।

10. **प्रकाशन**- संगठन पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक/शैक्षिक महत्व के किसी विषय को लेकर शिक्षकों एवं समाज के वैचारिक प्रबोधन हेतु प्रदेश अधिवेशन में एक स्मारिका का प्रकाशन कर रहा है। जयपुर अधिवेशन में भारतीय परिवार व्यवस्था की श्रेष्ठता पर आधारित स्मारिका **''वसुधैव कुटुम्बकम्''** का विमोचन किया गया। स्मारिका में देश के जाने माने चिन्तकों के अलावा राज्य की उच्च शिक्षा में कार्यरत विद्वानों के लेखों का संकलन है। गत वर्ष संगठन द्वारा शैक्षिक मंथन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में विभाग स्तर पर शिक्षा के समुन्नयन से संबंधित विषयों पर 7 राष्ट्रीय/प्रादेशिक संगोष्ठियाँ आयोजित की गई। इन संगोष्ठियों में प्रस्तुत चयनित शोध पत्रों का प्रकाशन संगठन द्वारा **''शिक्षा समुत्कर्ष''** नाम से किया गया। जयपुर अधिवेशन में श्री जे. नंदकुमारजी द्वारा दिये गए देराश्री स्मृति व्याख्यान एवं समारोप में श्री हनुमानसिंहजी राठौड़ के उद्बोधन पर आधारित पुस्तिका **''वामोपहत शिक्षा एवं राष्ट्र निर्माण''** का प्रकाशन भी गत वर्ष संगठन द्वारा किया गया।

11. **सेवा कार्य** - संगठन की अलवर इकाई के कार्यकर्ताओं ने बीबीरानी प्रवास कर गाडिया लुहारों के परिवारों से सम्पर्क किया तथा उन्हें खाद्य सामग्री व वस्त्रों का वितरण किया। संगठन की दयानंद महाविद्यालय अजमेर इकाई ने भारत विकास परिषद् व एन.सी.सी. के सहयोग से सौ यूनिट रक्तदान किया।

12. **प्रदेश कार्यकारिणी बैठकें** - 29 मार्च, 22 अक्टूबर 2017 व 7 जनवरी 2018 को संगठन की प्रांतीय कार्यकारिणी तथा 9

जून व 20 अगस्त 2017 को विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक सम्पन्न हुईं। इनमें संगठन की विभिन्न गतिविधियों एवं आगामी कार्ययोजना पर गंभीरता से विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए।

13. शैक्षिक महासंघ के कार्यक्रमों में सहभाग

(i) राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकों में सहभाग – अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 11-12 फरवरी 2017 को तिरुपति (आंध्रप्रदेश), 27-28 मई 2017 को शिमला (हिमाचल प्रदेश) एवं 29-30 अक्टूबर 2017 को अमरावती (महाराष्ट्र) में सम्पन्न हुई। संगठन की ओर से इन बैठकों में अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन मंत्री एवं सहसंगठन मंत्री ने सक्रिय सहभाग किया।

(ii) भारत में उच्च शिक्षा के परिदृश्य पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में सहभाग – अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में दिनांक 29-30 जुलाई 2017 को, 'Higher Education Perspectives in India' विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में रुक्टा (राष्ट्रीय) की ओर से महामंत्री एवं अध्यक्ष सहित 38 शिक्षकों ने सक्रिय गवेषणा में भागीदारी करके अपने सुझाव दिये।

(iii) *अखिल भारतीय 'शिक्षा भूषण' शिक्षक सम्मान समारोह में सहभाग* – अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा तृतीय अखिल भारतीय 'शिक्षा भूषण' शिक्षक सम्मान समारोह 10 सितम्बर 2017 को बेंगलुरु (कर्नाटक) में सम्पन्न हुआ। समारोह में कर्नाटक के प्रोफेसर एम. चिदानंद मूर्ति जी, उत्तर प्रदेश के प्रोफेसर सतीश चन्द्र जी मित्तल तथा राजस्थान के प्रोफेसर दयानंद जी भार्गव को शिक्षा भूषण सम्मान से विभूषित किया गया। समारोह में संगठन अध्यक्ष डॉ. दिग्विजयसिंह एवं सहसंगठन मंत्री डॉ. दीपक शर्मा उपस्थित रहे।

राष्ट्रहित में शिक्षा, शिक्षाहित में शिक्षक एवं शिक्षकहित में समाज के ध्येय वाक्य को लेकर अपना सांगठनिक एवं वैचारिक कार्य हो या शिक्षक समस्याओं हेतु गतिविधियाँ, इनका ठीक प्रकार योजनानुसार सम्पन्न होना, आप सब संगठन के सदस्यों एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं के सहयोग व समर्पण के कारण ही संभव हो पाया है। संगठन कार्य या समस्या समाधान की प्रक्रिया में कहीं आपकी, समाज की भावनानुसार कार्य नहीं हो पाया है, या अपेक्षित परिणाम नहीं मिला है तो इस हेतु स्वयं को पूर्णतया उत्तरदायी मानकर आप सब से करबद्ध क्षमा प्रार्थना करता हूँ एवं आपके निरन्तर विश्वास, सहयोग, प्रेम एवं मार्गदर्शन हेतु हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

भवदीय

(डॉ. नारायणलाल गुप्ता)

56वें प्रान्तीय अधिवेशन में साधारण सभा द्वारा पारित प्रस्ताव

प्रस्ताव नं. 1 मानवाधिकारों का संरक्षण कर्त्तव्य-पालन में ही है

जीवन में जैसे-जैसे भौतिकतावाद और सुखवाद की वृद्धि हुई, वैसे-वैसे अधिकाधिक अधिकार की प्राप्ति के लिए मनुष्य-जीवन में पारस्परिक संघर्ष व कलह भी बढ़ता गया और शान्ति-समता-बन्धुता-स्वतंत्रतादि का भाव बाधित होता चला गया। परिणामत: मूलभूत मानवाधिकार का प्रश्न वैश्विक स्तर पर उठा, व्यक्ति ने अपने अधिकारों की माँग को स्वर दिया और राज्य द्वारा मानवाधिकारों की संरक्षा के लिए व्यवस्थाएँ की जाने लगीं। किन्तु जन्मसिद्ध अधिकार-प्राप्ति की इस दौड़ में कर्त्तव्यभाव का शनै: शनै: विस्मरण होता चला गया। हमारे संविधान में तो कर्त्तव्य का विषय पूर्णत: उपेक्षित ही हो गया। यद्यपि बाद में संशोधन के जरिये, शिथिलित रूप में ही सही, पर कर्त्तव्य को संविधान में जोड़ा गया।

हमारी संस्कृति में तो प्राचीनकाल से ही अधिकार की अपेक्षा कर्त्तव्य पर इतना अधिक बल दिया गया है कि इस भारत-धरणी का नाम ही पश्चिम की भोगभूमि के विपरीत कर्त्तव्य भूमि हो गया - 'यतो हि कर्मभूरेषा ततोऽन्या भोगभूमय:।' हमारे पूर्वजों ने जानबूझकर समाज को कर्त्तव्याधारित बनाया था, क्योंकि कर्त्तव्य स्वार्थहीनता की प्रेरणा देता है जबकि अधिकार स्वार्थपरता को जगाता है। स्व-कर्त्तव्य को महत्त्व देने का अर्थ है दूसरे के अधिकार की रक्षा, क्योंकि एक व्यक्ति का कर्त्तव्य ही दूसरे का अधिकार है। यदि एक व्यक्ति 'न हिंस्यात् सर्वभूतानि' (किसी भी जीव की हिंसा मत करो) के अनुसार अहिंसारूपी कर्त्तव्य का पालन करता है तो दूसरे व्यक्ति का जीवनरक्षा रूपी मानवाधिकार स्वत: ही रक्षित हो जाता है। सब यदि अपने-अपने कर्त्तव्य का सम्यक्तया पालन करने लगें तो सबके अधिकारों का संरक्षण अपने आप ही हो जाएगा। हमारी धर्माधिष्ठित जीवन-पद्धति यही तो रही है कि सब लोग स्वधर्म का यानी स्वकर्त्तव्य का अनुष्ठान करें ताकि सबकी रक्षा संभव हो सके - 'धर्मेणैव प्रजा: सर्वा: रक्षन्तिस्म परस्परम्।'

परन्तु अधिकांश में आज की पद्धति ऐसी है कि समाज का प्रत्येक घटक समाज से और प्रकृति से अधिकतम लेना चाहता है, देना कुछ भी नहीं चाहता। यद्यपि अभी भी समाज में कुछ लोग हैं जिन्हें देख कर आशा जगती है और जिन पर व्यस्थाएँ टिकी हुई हैं। क्या कुछ दिये बिना, कर्त्तव्य-निर्वाह किये बिना, केवल लेते रहना संभव है? कर्त्तव्यमूलक होते हुए भी हमारी संस्कृति व्यक्ति के सुख की विरोधी कदापि नहीं है, पर शुद्ध भौतिकवाद की प्रवृत्ति का विरोध है जिसमें धर्म (कर्त्तव्य) की उपेक्षा करके अर्थ व काम को ही प्रधान मान लिया जाता है और उसे ही अधिकार समझ लिया जाता है। अन्यथा तो हमारी परम्परा में मानवमात्र के सुखाधिकार को पूरा सम्मान दिया गया है - 'लोका: समस्ता: सुखिनो भवन्तु।' बिना कर्त्तव्य के अधिकार की माँग करना तो अपराध के समान है। यहाँ प. पू. गुरुजी के शब्द स्मरणीय हैं कि - 'अधिकार का उद्गम-स्थान कर्त्तव्य है। कर्त्तव्य करें, अधिकार स्वत: प्राप्त हो जाएँगे।'

इसलिए आज, जब मानवाधिकार का मुद्दा वैश्विक फलक पर चर्चा में है, राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की यह साधारण सभा अपने सदस्यों के मध्य यह प्रस्ताव करती है कि अपने कुटुम्ब के अतिरिक्त भी समाज में प्रत्येक स्तर पर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए आदर्श स्थापित करें तथा निज भूमिका में अन्य लोगों को भी एतदर्थ प्रेरित करना प्रारम्भ करें जिससे कि मानवमात्र के अधिकारों के संरक्षण के द्वारा यह समाज और निरापद, उन्नत, समृद्ध, सुखी तथा सुन्दर बने।

प्रस्ताव 2. नौकरशाही के नियंत्रण से मुक्त हो उच्च शिक्षा

आज प्रदेश का पूरा शिक्षातंत्र ब्यूरोक्रेसी के प्रशासनिक अधिकारियों, जो कि शिक्षाविद् की तरह नहीं, किसी प्रतिष्ठान के सीईओ की तरह सोचते हैं, के हाथों निर्देशित होता है। स्थिति यह बन गयी है कि शिक्षक उनके सामने उनके निर्देशन और नियंत्रण में एक 'पेड सर्वेंट' या 'क्रीत दास' की भाँति कार्य करता है। शिक्षा ब्यूरोक्रेसी के मकड़जाल में फँसी नजर आती है। शिक्षा को तो मुक्ति का साधन माना गया है - 'सा विद्या या विमुक्तये।' पर आज तो शिक्षा खुद मुक्ति व स्वायत्तता की तलबगार है।

हम अपने विश्वविद्यालयों की तुलना हॉर्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और एम.आई.टी. जैसी प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं से करना तो चाहते हैं, किन्तु उन की तर्ज पर जाँच करने पर हमारी वर्तमान उच्च शिक्षा अन्तरराष्ट्रीय रैंकिंग में कहीं नहीं ठहरती। कारण कहीं न कहीं उच्च शिक्षा में सरकारी तंत्र का अत्यधिक हावी होना प्रतीत होता है और नौकरशाही का यह कुप्रभाव शैक्षिक वातावरण व प्रशासन को दूषित व बाधित कर रहा है। आज शिक्षा में 'क्वालिटी को क्वांटिटी' से बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। इस साधारण सभा का यह दृढ़ विश्वास है कि शैक्षिक संस्थान उपभोग-योग्य 'वस्तु' नहीं, शिक्षकों के निरन्तर अध्ययन, शोध, प्रशिक्षण व अनुभव के आधार पर राष्ट्र के लिए 'योग्य नागरिक' तैयार करने की कर्मस्थली हैं, जहाँ निरन्तर परिष्कार व परिमार्जन के अवसर स्वायत्तता के साथ उपलब्ध होने चाहिए।

रुक्टा (राष्ट्रीय) के 56वें अधिवेशन की साधारण सभा यह मानती है कि ब्यूरोक्रेट परिणामाभिमुख अच्छे प्रबन्धक हो सकते हैं, किन्तु शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियों, मूल्यांकन-प्रणाली, शोध एवं अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में उनका अनुभव एवं मनोविज्ञान किसी वरिष्ठ व अनुभवी शिक्षाविद् जितना व्यापक, परिमार्जित एवं दूरदर्शी नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा-क्षेत्र में इनके कार्यकाल की अवधि भी प्राय: अत्यन्त न्यून रहती है। आज विशेषज्ञों का भी यह स्पष्ट मत है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट की मुख्य वजह नौकरशाही का दखल है। आज भी पूरी दुनिया में जो देश शिक्षा की दृष्टि से उन्नत है या जहाँ के शिक्षण संस्थान विश्व में परचम लहरा रहे हैं, वहाँ शिक्षा-व्यवस्था अपेक्षाकृत स्वायत्त और स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि वहाँ की सरकारों की उन पर कोई नजर नहीं, लेकिन सरकार या नौकरशाही की भूमिका उन देशों में एक समन्वयक, प्रमोटर या सुपरवाइजर की होती है, नियंत्रक की नहीं।

एक समय भारत में भी नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे ज्ञान केन्द्रों में अनेक देशों के ज्ञानार्थी अपनी ज्ञान-पिपासा शान्त करते थे और आज हम दुनिया के 200 सर्वोत्तम संस्थानों की सूची में भी कहीं नहीं है। भारत अगर विश्वभर से शिक्षार्थियों को आकर्षित करता था तो उसका बड़ा कारण शिक्षा को सदैव राजनैतिक हस्तक्षेप से अलग रखा जाना था। यहाँ तक कि स्वयं राजा विद्याश्रम में विनीत वेश में प्रवेश करता था एवं गुरु को स्वयं से अधिक सम्मानित करता था। ज्ञान व शिक्षण परम्परा की सर्वोच्चता तो भारतीय संस्कृति व समाज-व्यवस्था का सार्वकालिक आधार रही है। हमारे शिक्षण-संस्थान केवल सामान्य राजकीय कार्यालय मात्र न होकर सरस्वती मन्दिर है। शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन की अपनी विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, जहाँ गैर-शैक्षणिक पृष्ठभूमि के प्रशासकों की सफलता सन्दिग्ध ही रहती है।

इस साधारण सभा का यह सुविचारित मत है कि यदि राजकीय नियमों की अनुपालना की दृष्टि से अत्यावश्यक हो तो निदेशक, संयुक्त निदेशक के परामर्श व सहायता के लिए सामान्य प्रशासनिक अधिकारियों का पदस्थापन किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में लिए जाने वाले महत्त्वपूर्ण निर्णयों के लिए वरिष्ठतम में से सुयोग्य शिक्षाविदों की एक समिति गठित कर उसी को अधिकृत किया जाए तथा शिक्षा के क्षेत्र में लिए जाने वाले निर्णयों की प्रक्रिया में शिक्षक संगठनों की भी भागीदारी हो।

रुक्टा (राष्ट्रीय) के 56वें अधिवेशन की साधारण सभा सरकार से यह अपेक्षा रखती है कि कॉलेज शिक्षा निदेशालय के सर्वोच्च

पद पर वरिष्ठ शिक्षाविद् को पदस्थापित किया जाए, जिसे शिक्षण और उच्च शिक्षा-संस्थानों की समस्याओं का निरन्तर सामना करने का व्यापक अनुभव हो। शैक्षिक जगत् के दीर्घ अनुभव से संपृक्त ऐसा शिक्षा-निदेशक राजनैतिक दबाव और नियंत्रण से मुक्त रह कर कार्य करे, यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

प्रस्ताव क्रं. 3. शिक्षा व शिक्षकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाये।

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की साधारण सभा पूर्व में पारित एवं अनिस्तारित निम्न प्रस्तावों की पुन: पुष्टि करते हुए शैक्षिक-उन्नयन एवं शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु सरकार से माँग करती है कि निम्न समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाये -

1. 30 जून 2013 के बाद ड्यू पे बैंड-4 का लाभ देने की प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ की जाए।
2. शारीरिक शिक्षकों का पदनाम यू.जी.सी. रेग्यूलेशन अनुसार डी.पी.ई. किया जाए।
3. महाविद्यालयों में व्याख्याताओं, शारीरिक-शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और मंत्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पद तुरन्त प्रभाव से भरने की व्यवस्था की जाये एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्डानुसार पिछले वर्षों में बढ़ी हुई शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर कार्यभार का पुन: निर्धारण किया जाए तदनुसार शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों के नवीन पदों का सृजन किया जाये।
4. आर.वी.आर.ई.एस. में समायोजित शिक्षकों के 31 दिसम्बर 2008 से बकाया वरिष्ठ/चयनित वेतनमान का लाभ अविलम्ब दिया जाए एवं राज्य सेवा में नियुक्ति पश्चात पे बैंड-4 का लाभ अन्य राजकीय महाविद्यालय शिक्षकों के समान ही दिया जाए।
5. पूर्व सेवा का लाभ सभी पात्र शिक्षकों को दिया जाये।
6. निदेशक/आयुक्त के पद पर वरिष्ठ शिक्षाविद् की ही नियुक्ति की जाये तथा निदेशक (अकादमी) के रिक्त पद को अविलम्ब भरा जाये।
7. शिक्षकों को शोध करने हेतु कोर्स-वर्क की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाये अथवा छह माह के सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था की जाए।
8. विभागीय पदोन्नति समिति एवं कॅरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के तहत वरिष्ठ, चयनित एवं पे-बैंड-4 हेतु वर्ष में दो बार नियमित बैठकें आयोजित हों।
9. महाविद्यालय शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि की नियमित सेवा सामने हुए वेतन सहित समस्त परिलाभ प्रदान किये जायें।
10. संविदा आधार पर नियुक्त शिक्षकों को यू.जी.सी. द्वारा अनुशंसित न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाये एवं उनकी लम्बी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए उन्हें नियमित किया जाये।
11. आर.वी.आर.ई.एस. में समायोजित शिक्षकों के मेडिकल एवं उपार्जित अवकाश राज्य सेवा में अग्रनित किये जायें एवं अनुदानित सेवा के समस्त बकाया का भुगतान करवाया जाये।
12. राज्य सेवा के अन्य कार्मिकों के समान ही जनवरी 2006 से जून 2006 के मध्य ड्यू वेतन वृद्धि वाले महाविद्यालय शिक्षकों को भी छठे वेतनमान में अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी जाये।
13. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत वेतनमान दिये जायें।
14. निजी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के शोषण को रोकने एवं इन संस्थानों में शैक्षिक गुणवत्ता नियंत्रण हेतु केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी नियम निर्देशों की समुचित पालना के लिए नियामक आयोग का गठन किया जाए।

इन सब पूर्व में लम्बित माँगों के समाधान के साथ ही संगठन की साधारण सभा यू.जी.सी. द्वारा अनुशंसित सातवें वेतन आयोग का लाभ 1-1-2016 से राज्य की उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को अविलम्ब देने की माँग करती है।

शोक-प्रस्ताव

रुक्टा (राष्ट्रीय) के 55वें अधिवेशन के पश्चात् शिक्षा जगत के हमारे कुछ साथी प्रभुतत्व में लीन हो गए हैं। संगठन के 56वें अधिवेशन की यह साधारण सभा मा. मुकुन्द राव जी कुलकर्णी, श्री पी. चन्द्रशेखरजी, प्रो. जे. पी. वर्मा-जयपुर, डॉ. ए. के. पाठक-भरतपुर, डॉ. विद्यासागर शर्मा-श्रीगंगानगर, डॉ. अमर चंद राठी-पाली, डॉ. लक्ष्मीकांत दाधीच-कोटा, प्रो. आर. के. सिंह-उनियारा, प्रो. प्रीति बैराठी -सीकर, डॉ. के. एम. बंसल-कोटपुतली, डॉ. एन.एस. राव-उदयपुर, प्रो. अशोक आचार्य-बीकानेर, प्रो. मोहरसिंह यादव-अलवर, डॉ. वी. के. जैन-भरतपुर, डॉ. राजवीर सिंह-भरतपुर, डॉ. कमलेश दीक्षित-कोटा, प्रो. अतरसिंह-जोधपुर, प्रो. सोहन सिंह दुलार-चुरु, डॉ. एस. एन. शर्मा-पोखरण, डॉ. संजीव कात्याल-नागौर, डॉ. महताब सिंह-अलवर, डॉ. स्नेहलता धवन के निधन से शिक्षा जगत में हुई अपूर्णनीय क्षति के लिए गहन शोक प्रकट करती है एवं ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उनकी आत्मा को शांति एवं उनके परिजनों को इस असहनीय दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)
आय-व्यय खाता (वित्तीय वर्ष 2016-2017)
31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

व्यय	राशि (रु.)	आय	राशि (रु.)
डाक व्यय	30,527.00	सदस्यता 2016-2017	6,13,700.00
दूरभाष व मोबाईल	7,241.00	बचत खाते पर ब्याज	24,380.00
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	1,88,247.00	मियादी जमा खाते पर ब्याज	4,33,682.00
यात्रा व्यय	1,25,692.00	यूको बैंक 205670	
पारिश्रमिक	20,000.00	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक 228012	
कार्यकारिणी बैठक व्यय	8,743.00	अभ्यास वर्ग शुल्क	39,900.00
अ.भा. रा. शैक्षिक महासंघ	5,673.00		
अभ्यास वर्ग व्यय	91,724.00		
विधान सभा प्रदर्शन व्यय	72,378.00		
शिक्षा समूह बैठक व्यय	17,005.00		
बैंक चार्जेज	1,257.00		
स्थानीय इकाईयों के पुर्नभरण	4,070.00		
आय का व्यय पर आधिक्य	5,39,105.00		
कुल योग	**11,11,662.00**	**योग**	**11,11,662=00**

चिट्ठा 31 मार्च, 2017

दायित्व	राशि (रु.)	सम्पत्तियाँ	राशि (रु.)
आय का व्यय पर आधिक्य -		**रोकड़ बचत बैंक खाता**	
गत वर्षों का कोष	37,92,841.00	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	5,976.00
आजीवन सदस्यता (2016-17)	10,000.00	यूको बैंक	11,46,706.00
अधिवेशन हेतु सहयोग एवं		**मियादी जमा खाता**	
पंजीयन (2016-17) में प्राप्त		आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	13,33,343.00
सहयोग राशि का व्यय पर आधिक्य	615873.00	यूको बैंक	26,69,779.00
2016-17 का आधिक्य	5,39,105.00		
कुल कोष	**49,57,819.00**		
महामंत्री को देय	1,97,985.00		
योग	**51,55,804.00**	**योग**	**51,55,804.00**

ह.
डॉ. दिग्विजयसिंह शेखावत
अध्यक्ष

ह.
डॉ. नारायण लाल गुप्ता
महामंत्री

अंकेक्षण रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने रुक्टा (राष्ट्रीय) के 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की लेखा पुस्तकें, आय एवं व्यय खाता और चिट्ठे का अंकेक्षण किया है और मैं प्रतिवेदित करता हूँ कि मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे अंकेक्षण उद्देश्य हेतु आवश्यक समस्त सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण मैंने प्राप्त कर लिये हैं। मेरी राय में और मेरी जानकारी के अनुसार तथा मुझे जो सूचनाएँ और स्पष्टीकरण दिये गए हैं, वे संगठन की स्थिति, विवरण (चिट्ठा) का 31 मार्च 2017 को सही और प्रमाणित स्थिति प्रकट कर रहा है और इस तिथि को आय का व्यय पर आधिक्य भी प्रकट हो रहा है।

ह.
(डॉ. महेन्द्र कुमार गोखरु)
अंकेक्षक